न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– श्री रणजीत कुमार आरएएस

मुकदमा संख्या :– 235/2021

अनवान मुकदमा –

1. पतराम पुत्र रामूराम जाति बावरी साकिन गोलुवाला निवादान हाल 2 एचडीपी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।

-- वादी

बनाम

1. मोमनराम पुत्र रामजी जाति बावरी साकिन गोलुवाला निवादान बावरियों का बास तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
2. गोपीराम पुत्र रामजी जाति बावरी साकिन वार्ड न. 11, 2 एचडीपी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
3. राजूराम पुत्र साहबराम जाति बावरी साकिन गोलुवाला निवादान बावरियों का बास तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
4. सन्तो देवी पुत्री साहबराम पत्नी मांगीलाल जातिबावरी साकिन खेरूवाला तहसील सादूलशहर(मटीली) जिला श्री गंगानगर राजस्थान।
5. कमलो देवी पुत्री साहबराम पत्नी मूलचन्द जाति बावरी साकिन फूलसर रोजां तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर राजस्थान।
6. तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

– – प्रतिवादीगण

–: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 रा.का.अधि. बाबत् खाता विभाजन :–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री करणी सिंह राठौड़ अधिवक्ता --- वादी
2. श्री राकेश पुनियां अधिवक्ता --- प्रतिवादी सं. 1 ता 5
3. राज पेरोकार तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा --- प्रतिवादी सं. 6

–:: निर्णय :–

दिनांक – 17/06/2022

वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण का पंजीकृत एवं प्रमाणित पता वही है जो वाद पत्र के शीर्षक में अंकित किया गया है।

निम्नलिखित कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पिता रामजी पुत्र पेमा का बहिब यानि 1/2 हिस्सा प्रत्येक का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है–

चक नम्बर 2 एचडीपी के खाता संख्या 69 पत्थर नम्बर 17/261(55) कि0न0 6/1/0.228, 6/2/0.025, 7 ता 9/0.759, 13, 14/0.506, 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/1/0.228, 16/2/0.025 कुल 2.034 है0 (0.759 नहरी + 1.190 अनकमाण्ड + 0.075 गै0मु0 रास्ता) है। जमाबंदी [illegible] वाद पत्र किया गया है।

रामजी का स्वर्गवास [illegible] है जिसके वायज व कानूनी वारिस प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है। वादी ने उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा धौंकलराम व रजीराम पिसरान हरीराम जाति बावरी साकिन गोलुवाला निवादान [illegible] की थी जिसका कब्जा इकरारनामा दिनांक 12.04.1988 को ही मुझ वादी को मय पानी की बारी सौंप दिया था जो पेरा नम्बर 4 में दर्ज मुताबिक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:09:45 IST
Reason: SelfAttested

17.06.2022
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

वादी के कब्जा काश्त में निम्नलिखित भूमि है–

चक नम्बर 2 एचडीपी के खाता संख्या 69 पत्थर नम्बर 17/261(55) कि0न0 7/0.253 नहरी, 8/0.127 नहरी, 13/0.126 अनकमाण्ड, 14/0.253 अनकमाण्ड, 15/1/0.228 अनकमाण्ड, 15/2/0.025 रास्ता कुल 1.012 है0 नहरी अनकमाण्ड मय गैरमुमकिन रास्ता है जिस पर खरीद के समय से ही वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस भूमि पर टिब्बे थे जिनको वादी ने ट्रेक्टर कराहा से समतल करवाकर भूमि को सुधारा है। जिस पर वादी का काफी रूपया खर्च हो चुका है।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 अपने अपने हिस्सा की भूमि पर अलग अलग काबिज चले आ रहे है। जमाबंदी में खाता संयुक्त होने से रकम राज व आबयाना जमा करानें में किलानम्बर दर्ज नहीं किया जाता तथा वादी को अपने कब्जा काश्त की भूमि पर बैंक लोन लेने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए वादी अपने हिस्सा व कब्जा की भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 से अपने हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि का खाता तकसीम पैरा नम्बर 4 में दर्ज मुताबिक करवाना चाहते है।

वादी विवादित भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। वादी को अपने हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि का खाता तकसीम करवाने का अधिकार है इसलिए वादी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 से अपने हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि का खाता तकसीम पैरा नम्बर 4 में दर्ज मुताबिक करवाना चाहते है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि वाद वादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे – चक नम्बर 2 एचडीपी के खाता संख्या 69 पत्थर न. 17/261(55) कि0न0 7/0.253, 8/0.127, 13/0.126, 14/0.253, 15/1/0.228, 15/2/0.025 कुल 1.012 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया कर वादी का खाता प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 से अलग किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 व 3 जरिए अधिवक्ता न्यायालय में हाजिर आये। बहस एकपक्षीय सुनी गयी।

तहसीलदार को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर कब्जा काश्त की रिपोर्ट प्राप्त की गई। मौका कमीश्नर ने अपनी रिपोर्ट में चक 2 एचडीपी के प0न0 17/261(55) के कि0न0 7/0.253, 8/0.253, 8/0.127, 13/0.126, 14/0.253, 15/0.253 कुल 1.012 है0 नहरी/अनकमाण्ड मय गै0मु0 कृषि भूमि पर वादी पतराम का कब्जा काश्त होना लिखा है। प्रतिवादी संख्या 2 ने इकबाल दावा पेश किया। वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने वाद में हिदायत पैरवी नहीं होना अंकित किया है। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 बावजूद सम्मन तामिल हाजिर नहीं आये। लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

:: आदेश ::

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:09:45 IST
Reason: Self Attested

विद्वान अधिवक्तागण की बहस [illegible] मनन [illegible]या। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण की ओर [illegible] का अवलोकन किया गया। दावा स्वीकार किया जा[illegible]मीश्नर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर वाद वादी साबित होने पर डिक्री कि[illegible] जाता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि तहसील पीलीबंगा के चक नम्बर 2 एचडीपी के खाता संख्या 69/54 में से पत्थर न. 17/261(55) कि0न0 7/0.253, 8/0.127, 13/0.126, 14/0.253, 15/1/0.228, 15/2/0.025 कुल 1.012 है0 भूमि का खाता तकसीम किया जाता है।

17.06.2022
सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

17.06.2022

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:09:45 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्में इब्तदाई
(आ0-20 रूल 6, 7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार आर.ए.एस

मुकदमा संख्या :- 235/2021

अनवान मुकदमा –

1. पतराम पुत्र रामूराम जाति बावरी साकिन गोलुवाला निवादान हाल 2 एचडीपी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।

-- वादी

बनाम

1. मोमनराम पुत्र रामजी जाति बावरी साकिन गोलुवाला निवादान बावरियों का बास तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
2. गोपीराम पुत्र रामजी जाति बावरी साकिन वार्ड न. 11, 2 एचडीपी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
3. राजूराम पुत्र साहबराम जाति बावरी साकिन गोलुवाला निवादान बावरियों का बास तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
4. सन्तो देवी पुत्री साहबराम पत्नी मांगीलाल जातिबावरी साकिन खेरूवाला तहसील सादूलशहर(मटीली) जिला श्री गंगानगर राजस्थान।
5. कमलो देवी पुत्री साहबराम पत्नी मूलचन्द जाति बावरी साकिन फूलसर रोजां तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर राजस्थान।
6. तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

– – प्रतिवादीगण

-: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 रा.का.अधि. बाबत् खाता विभाजन :-

-:: निर्णय ::-

दिनांक – 17/06/2022

वादी की ओर से श्री करणी सिंह राठौड़ अधिवक्ता एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की ओर श्री राकेश पुनिया, अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक को रणजीत कुमार आरएएस उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि (व मेवादीका) तहसील पीलीबंगा के चक नम्बर 2 एचडीपी के खाता संख्या 69/54 में से पत्थर न. 17/261(55) कि0न0 7/0.253, 8/0.127, 13/0.126, 14/0.253, 15/1/0.228, 15/2/0.025 कुल 1.012 है0 भूमि का खाता तकसीम किया जाता है।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अकंन किया जावे। खर्चा फरीकेन जिम्मे फरीकेन। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफतर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 17/06/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17.06.2022

(रणजीत कुमार RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:09:45 IST
Reason: SelfAttested